फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/254

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री अरविन्द कुमार निवासी आवल तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा – अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 48 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
03.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 12.05.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव आवल पंचायत समिति आबूरोड के कुम्हार मोहल्ला में वोटर आईडी क्रमांक टीडीएल0415901 में श्री सत्येन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री समुन्द्रसिंह किस साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया, उक्त दस्तावेज की प्रति एवं श्री सत्येन्द्रपाल सिंह की पत्नि अंजु चौधरी का अनुसूचित क्षेत्र गांव आवल का मूल निवास प्रमाण पत्र कब एवं किस आधार पर तथा किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया, उनकी प्रमाणित प्रति एवं श्री सत्येन्द्रपालसिंह के पिताजी श्री समुन्द्रसिंह गांव आवल में कब से निवासरत है एवं उनका वोटर लिस्ट में नाम कब दर्ज किया गया है। उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 12.05.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव आवल पंचायत समिति आबूरोड के कुम्हार मोहल्ला में वोटर आईडी क्रमांक टीडीएल0415901 में श्री सत्येन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री समुन्द्रसिंह किस साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया, उक्त दस्तावेज की प्रति एवं श्री सत्येन्द्रपाल सिंह की पत्नि अंजु चौधरी का अनुसूचित क्षेत्र गांव आवल का मूल निवास प्रमाण पत्र कब एवं किस आधार पर तथा किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया, उनकी प्रमाणित प्रति एवं श्री सत्येन्द्रपालसिंह के पिताजी श्री समुन्द्रसिंह गांव आवल में कब से निवासरत है एवं उनका वोटर लिस्ट में नाम कब दर्ज किया गया है। उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पीकिंग आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही